

863

COMMON STATUS REPORT

SUBMITTED TO

**THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW
DELHI**

IN THE MATTER OF

SHIV SINGH VS STATE OF RAJASTHAN & ORS.

ORIGINAL APPLICATION NO. 432 OF 2021

ON BEHALF OF

**CHIEF SECRETARY, GOVERNMENT OF
RAJASTHAN (RESPONDENT NO. 1),
DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY,
RAJASTHAN (RESPONDENT NO. 2),
AND
DISTRICT COLLECTOR, RAJASAMAND
(RESPONDENT NO. 4)**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A. NO. 432/ 2021**

IN THE MATTER OF:

SHIV SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMMON STATUS REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1, 2 AND 4 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 01.11.2022 and 27.03.2023	1 - 6
2.	<u>Annexure R-1/1</u> True Copy of the letter dated 22.07.2020 written by the Applicant to Mining Engineer , Amet ;Representative of Respondent No. 2.	7
3.	<u>Annexure R-1/2</u> True Copy of the Site inspection report dated 04.08.2020 conducted by Representative of Respondent No. 2.	8 - 9
4.	<u>Annexure R-1/3</u> True Copy of the show-cause notice dated 07.08.2020 issued to Respondent No. 5.	10
5.	<u>Annexure R-1/4</u> True Copy of the Reply to the show-cause by	11

	Respondent No. 5 dated 08.09.2020.	
6.	<u>Annexure R-1/5</u> True Copy of the Site inspection report dated 28.08.2021 conducted by Representative of Respondent No. 2.	12 - 13
7.	<u>Annexure R-1/6</u> True Copy of the show-cause notice dated 21.09.2021 issued to Respondent No. 5.	14
8.	<u>Annexure R-1/7</u> True Copy of the Reply to the show-cause by Respondent No. 5 dated 05.10.2021.	15
9.	<u>Annexure R-1/8</u> True Copy of the Mauka Report dated 21.01.2023.	16
10.	<u>Annexure R-1/9</u> True copy of the Report dated 13.09.22.	17
11.	<u>Annexure R-1/10</u> True copy of the Letter dated 25.04.23 sent by the Tehsildar to Mining Engineer, Amet.	18

FILED BY:



(कमलेश्वर बारेगामा)
Office अधिकारी अभियन्ता
राजसमन्द-वृत्त-सजसमन्द
For

Respondent No. 1, 2 and 4

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 432/ 2021

IN THE MATTER OF:

SHIV SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS.

...RESPONDENTS

COMMON STATUS REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1,
2 AND 4 IN COMPLIANCE OF ORDER DT. 01.11.2022 and
27.03.2023

- 1) The Chief Secretary, Government of Rajasthan, Department of Mines & Geology, State of Rajasthan and District Collector, Rajasmand, Rajasthan have been arrayed as Respondents No. 1, 2 and 4 respectively.
- 2) The common status report is being filed by the above named Respondents to clarify and update this Ld. Tribunal regarding correct and present status concerning the present Original Application under consideration. It is at the outset respectfully submitted that the Applicant herein has incorrectly and maliciously preferred the present Original Application alleging cracks being caused to his house located at Village Nilwa, Talab Ka Pachhore, Tehsil Kareda, District Bhilwara, Rajasthan due to the blasting in Granite Mines at Gram Panchayat Kukarkheda,


(कमलेश्वर बारगेमा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
राजसमन्द-वृत्त-राजसमन्द

Bhilwara, Rajasthan. The Applicant's house is at a distance of 400 meters from the above referred mines.

- 3) This Ld. Tribunal vide order dated 27.01.2022 directed the formation of a Joint Committee consisting of member of SEIAA, Rajasthan, State PCB, Mines & Geological Department, State of Rajasthan, Department of Irrigation, State of Rajasthan and District Magistrate, Bhilwara, to look into the grievance iterated in the present Original Application. The State PCB was appointed as the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee Report dated 02.09.2022 has observed that some cracks were indeed present in few of the inspected houses, however, it remained inconclusive what is the scientific reason for the cracks without having a geological study done. In view of the above, Replies/Responses were directed to be filed by the five Respondents.
- 4) It is for the foregoing reasons that the Respondent No.s 1, 2 and 4 are reproducing some of the relevant facts herein to assist this Ld. Tribunal in proper adjudication of the present Application. It is respectfully submitted that the Department of Mines & Geology, Amet had received a complaint from the Applicant vide letter dated 23.07.2020, taking cognizance of which mining lease of the Respondent No. 5 (Project Proponent) which was inspected by the officials of Department of Mines & Geology, Amet on 04.08.2020. True Copy of the letter dated 22.07.2020 written by the Applicant to Mining Engineer Amet is annexed herewith and attached as **Annexure R-1/1**. True Copy of the Site inspection report


(कमलेश्वर बारिगामा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
राजसमन्द-वृत्त-राजसमन्द

dated 04.08.2020 conducted by Mining Engineer , Amet is annexed herewith and attached as **Annexure R-1/2**.

5) In furtherance of the inspection, a show-cause notice dated 07.08.2020 was also issued to the Respondent No. 5 demanding response to be provided addressing the following grounds:-

- (a) Demarcation pillars not constructed Mining lease area.
- (b) Blasting being conducted in mining lease area which is against the rules.
- (c) Dumping of over burden (Malba) in the drain adjacent to the mining area.

In compliance to the Show-cause, Respondent No. 5 submitted its reply on 08.09.2020. True Copy of the show-cause notice dated 07.08.2020 issued to Respondent No. 5 is annexed herewith and attached as **Annexure R-1/3**. True Copy of the Reply to the show-cause by Respondent No. 5 dated 08.09.2020 with clarified that blasting is not adopted in granite / dimensional stone mining excavation operation being annexed herewith and attached as **Annexure R-1/4**.

6) Following the due procedure, Respondent No. 2 carried out inspection at the mining lease area of the Project proponent (Respondent No. 5) on 28.08.2021 subsequently another show-cause notice was issued to the project proponent dated 21.09.2021 stating the following:-

- (a) over burden (Malba) dumped by the project proponent in the nearby storm- water drain was not removed.
- (b) Blasting not being carried out on the mines.

The Respondent No. 5 vide its Reply dated 05.10.2021 conceded that some amount of over burden (Malba) had accidentally fallen into a small seasonal stream/storm-water drain, and assurances were given


(सहायक श्वर वारेगामा)

that the over burden (Malba) would be promptly removed from water stream by the Respondent No. 5. True Copy of the Site inspection report dated 28.08.2021 conducted by representative of Respondent No. 2 is annexed herewith and attached as **Annexure R-1/5**. True Copy of the show-cause notice dated 21.09.2021 issued to Respondent No. 5 is annexed herewith and attached as **Annexure R-1/6**. True Copy of the Reply to the show-cause by Respondent No. 5 dated 05.10.2021 is annexed herewith and attached as **Annexure R-1/7**.

- 7) However, it is pertinent to highlight that in the meantime, the Ld. Tribunal vide order dated 08.02.2023 restrained the Project Proponent from carrying out any further mining from the site in question till further orders.
- 8) It has been recorded vide the report submitted by Respondent No. 3 (RSPCB) that despite several letters and show-cause notice being sent to the Respondent No. 5, it failed to remove the debris lying outside their mining lease area and instead requested for time upto 15.01.2023. In compliance to the directions issued by the Ld. Tribunal and show cause issued by the Respondents, the debris were eventually removed by the project proponent.
- 9) Thereafter, Patwari, Kukerkheda vide mauka report dated 21.01.2023 reported that no debris was found at araji no. 3558 and no obstruction to natural flow of storm-water drain/stream was found. True Copy of the Mauka Report dated 21.01.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1/8**.


(कमलेश्वर बारेगामा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
राजसमन्द-वृत्त-राजसमन्द

10) It is pertinent to bring on record that the project proponent has denied carrying out any blasting operations, submitting that the very purpose of mining granite would be left infructuous as the mined minor mineral would be ruined. The joint committee also reported that no blasting was done on the site in question by the project proponent. Joint Committee Report further reveals that the true cause of the damage caused to the Applicant's house was not clear and the same cause remained scientifically inconclusive. Upon the observations made by the Joint Committee Report dated 26.06.2023 it was concluded that:

- a. *The house has sufficient number of cracks of variable nature which do not appear to be originating from blasting as a very few of them are diagonally originating from the base of the house. They are neither deep nor cross cutting the wall structure and limited to plaster level.*
- b. *The nature and construction of house also shows variation in terms of time of construction. The frequency of cracks is seen more in older parts of the house as compared to the new constructions. Henceforth, the number of cracks can be directly linked to the quality of construction which can be better assessed by a civil engineer.*
- c. *Near to the site of mines operation, mine office and workers quarters were also inspected which were located at a distance of 150m. The committee observed that there were no cracks present in this building even though they are close to the mine as compared with the applicant's house.*
- d. *The members of the committee are of the opinion that cost of crack repair can be better assessed by a construction engineer.*

11) It is additionally submitted that the allegations with respect to illegal mining being carried out by the Respondent No. 5 in Khasra No. 3463 stands clarified vide report dated 13.09.2022


(कमलेश्वर बारेगामा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
राजसमन्द-वृत्त-राजसमन्द

sent to the Mining Engineer Amet. The Tehsildar further communicated on 25.04.2023 in this regard after due corrections being carried out in the land records. True copy of the Report dated 13.09.2022 is annexed herewith and attached as **Annexure R-1/9**. True copy of the Letter dated 25.04.2023 sent by the Tehsildar is annexed herewith and attached as **Annexure R-1/10**. Mining lease has been allotted to Respondent no. 5 in khatedari land under Rajasthan Minor Mineral concession Rules, 2017 on the basis of registered consent of khatedar. Respondent no. 5 is working inside granted area and not done any illegal mining outside lease area.

12) In view of the submissions and averments made above, the Respondents herein, seek liberty to file a more detailed reply as and when directed by the Ld. Tribunal for the proper adjudication of proceedings.

FILED BY:


(कमलेश्वर बारेगामा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता
राजसमन्द-वृत्त-राजसमन्द

Officer in Charge For
Respondent No. 1, 2 and 4

सेवामे,

CC
MF
22/7/2020

श्रीमान मुख्य अभियन्ता खनिज विभाग

आमेट जिला राजसमन्द

प्रस्तुतकर्ता – श्री शिव सिंह पिता श्री भुर सिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी
निलवा तालाब पुलिस थाना करेडा जिला भीलवाडा राज0

—प्रार्थी

बनाम

प्रोपराईटर जी एम स्टोन्स ग्राम निलवा तालाब पुलिस थाना करेडा जिला भीलवाडा

—विपक्षी

विषय— उचित कार्यवाही करने बाबत।

महोदय जी,

वाकीयाती मामला इस प्रकार है कि विपक्षी कि माईन्स कि सीमा से करीब 500 गज कि दुरी पर मेरा आवासीय मकान बना हुआ है एव विपक्षी द्वारा निरन्तर खनन कार्य करते समय तय सीमा से अधिक बारूद व विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करते हुए दिन रात ब्लास्टिंग कार्य करता है जिससे मेरे आवासीय मकान को भारी नुकसान हो रहा है तथा ब्लास्टिंग से होने वाले भारी कंपन के कारण मकान कि छत व चार दिवारी में दरारे आ गई है मुझ प्रार्थी द्वारा खान पर कार्यरत लोगो से कही बर्ताबा मौखिक निवेदन उक्त बाबत किया गया तो वह आवेशित होकर मन माफिक तरीके से ब्लास्टिंग करना जारी रखते है जिससे मेरे आवासीय मकान व मेरे परिवार को जान माल का पुरा पुरा खतरा उठाना पड रहा है देर रात को भी ब्लास्टिंग किये जाने से उसके पत्थर उछल कर मेरे मकान व बाहर आहते में आकर गिरते है जिससे बाहर आहते बाडे में बन्दे पशु धन को भी खतरा बना हुआ है।

अतः श्रीमान से निवेदन है उक्त खान मालिक को दिन के समय एव तय सीमा के भीतर ही कम तीव्रता कि ब्लास्टिंग कार्य करने हेतु पाबंद करावे एव मेरे मकान व पशु धन को हुई नुकसान कि भरपाई विपक्षी से वसुल कि जाकर दिलाये जाने कि कृपा करावे।

दिनांक—18.07.2020



हस्ताक्षर



राजस्थान सरकार

खन पदा स. व. 2014

873 Annexure R-1/2

8

मौका रिपोर्ट

5-8-2021

दिनांक 4.8.2020 को त्रीभान जनि अक्षिपना, आग्नेय के आदेश क्रमांक खअ/आग्नेय/सीसी-11/एम.एल. 22/2014/1851 दिनांक 24.7.2020 की पालना में तथा अखिलिय में प्राप्त श्री शिव तिड पिता श्री भूर तिड जाति शयत निवासी-निलवा तालाब पुलिस थाना करंग जिला - भीलवाड़ा से प्राप्त रिमापत की जांच हेतु खन पदा स. 22/2014 खनिज वेवार्ड निकट ग्राम - कुकरखेरा तहसील भीम जिला - राजसमंद में M/S जैम गेनार्डिस के पास में स्वीकृत खन पदा का मौका निरीक्षण हेतु मौका स्थल पर पहुंचे।

वक्त मौके पर रिमापत में वर्णित मोबाइल नं. 9660283894 व 7300118125 पर दुरसंध वार्ता कर रिमापतकर्ता को मौका स्थल पर बुलाया। मौके पर उपस्थित रहे श्री शिव तिड व श्री राजेंद्र तिड ने बताया कि M/S जैम गेनार्डिस के खन कार्य क्षेत्र में दिन-रात एक्टिव करते हैं जिससे भूरे भवान प्रतिनिधी की उपस्थिति में रिमापतकर्ता के भवान को देखा गया। जिसे कुछ दूरी पर देखा गया। उक्त दूरी को जान में blasting करने से आई है यह उभारित करना मुश्किल है। वक्त मौके पर रिमापतकर्ता के भवान की दूरी खन से लगभग 300 मीटर पर भाली है। खन क्षेत्र के आत पास blasting करने के अवसर प्राप्त नहीं रहे हैं। रिमापत में वर्णित खन के मलबे के संवय में ग्रामवासी की उपस्थिति में तथा खन प्रतिनिधी की उपस्थिति में खन पदा क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। वक्त मौके पर खन पदा क्षेत्र में खन कार्य बन्द पाया गया। खन प्रतिनिधी ने बताया कि खन का लॉडर ड्रॉप ले भनरत पर गते रहे हैं। खन से निकला उधा मलबा स्वीकृत खन क्षेत्र में पड़ जा रहा है। खन पदा क्षेत्र के नजदीक एक नाला है जो नजदीकी तालाब की ओर जाता है जिसमें खन पदाकारी डारा खन से निकला मलबा का आरंभ भाग नाले के पास डाला गया है। तथा कुछ भाग नजदीकी खानकारी भूमि में डाला गया है।

f.T.O.

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट जिला राजसमन्द

खनिज भवन, आगरिया रोड आई.टी.आई. के पास, आमेट

दूरभाष- 02908.251660, ईमेल- me.amet@rajasthan.gov.in

क्रमांक: खअ/आमेट/सीसी-11/एम.एल. 22/2014/
को:-

2024

दिनांक: 7-8-2020

मैसर्स जेम ग्रेनाईट्स

द्वारा साहू यात्रा कंपनी आदिनाथ कोलोनी के पिछे,

जयपुर रोड़ मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)


विषय : खनन पट्टा संख्या 22/2014 निकट ग्राम कुकरखेड़ा, तहसील भीम जिला राजसमंद (राज.) वास्ते खनिज ग्रेनाईट में संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खनन पट्टा संख्या 22/2014 निकट ग्राम कुकरखेड़ा, तहसील भीम जिला राजसमंद (राज.) वास्ते खनिज ग्रेनाईट के पक्ष में स्वीकृत होकर प्रभावशील है।

समस्त ग्रामवासी द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में शिकायत की जांच कार्यालय के खनि कार्यदेशक व शिकायतकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 04.08.2020 को की गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2020 के अनुसार निम्न अनियमितता पाई गई :-

1. वक्त मौका निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र के नियमानुसार सिमांकित पिल्लर नहीं बने हुए है।
2. आप द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में ब्लास्टिंग की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है।
3. वक्त मौका निरीक्षण खनन पट्टे से निकलने वाला मलबा बाहर नाले में डाला जा रहा है।

अतः आपको उक्त चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दोषों का निराकरण पत्र प्राप्ति की तिथी से 30 दिवस के अन्दर करा कर लिखित में सूचित करें। आप द्वारा समयावधि में पालना नहीं करने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सो सूचित रहे।


(पूरणमल सिंगाडिया)
खनि अभियन्ता, आमेट
जिला राजसमंद

सेवामें,

श्रीमान खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
आमेट जिला राजसमन्द

CCD
1/13
21/2020

दिनांक 8-09-2020

विषय:- हमारे पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 22/2014 निकट ग्राम - कुकरखेड़ा तहसील- भीम जिला- राजसमन्द (राज.) में आवश्यक सूचना के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे खनन पट्टा संख्या 22/2014 निकट ग्राम - कुकरखेड़ा तहसील- भीम जिला- राजसमन्द (राज.) में आप श्रीमान के कार्यालय के खनि कार्यदेशक महोदय द्वारा दिनांक 04/08/2020 को निरक्षण किया गया था जिसमें निम्न कमिया पाई गई थी जिस क्रम में 1. हमारे द्वारा हमारे खनन पट्टे में निरधारित आकार एवं नियमानुसार पिल्लर बना दिये गये है। जिसके फोटो पेश है। 2. हमारे द्वारा हमारे खनन पट्टे में किसी प्रकार हैवी ब्लास्टिंग नहीं की जाती है केवल मलवा वेस्ट को भी छोटा करने के लिये भी ब्रेकर का ईस्तेमाल किया जा रहा है। एवं साथ श्रीमान से निवेदन है कि शिकायत कर्ता अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के कारण आये दिन शिकायत करता रहता है। एवं आये दिन खान के कार्य में बाधा उत्पन्न करता रहता है। 3. हमारे द्वारा हमारे खनन पट्टे में डम्पींग यार्ड के पास एक छोटा सा बरसाती नाला है जिसमें कुछ मात्रा में जो मलबा हमारी गलती से गिरा है, उसे हम शीघ्र ही हटा देंगे परन्तु इस समय वर्षा ऋतु होने कारण सम्भव नहीं है, मलबा हटाकर आप श्रीमान को सूचित कर देंगे।

अतः श्रीमान से निवेदन है की उपरोक्त पालना को स्वीकारने का श्रम करावें।

भवदीय

R. S. Mantry.

मैसर्स जेम ग्रेनाईट्स

8766
08/9/2020

राजस्थान (राज्य) राजधानी राजस्थान - 082105510662876

राज्य दिनांक 28/8/2021 को राजधानी में जारी राजधानी राजस्थान पार्टी का नाम - 082105510662876 पर

जान A विभाजन की जाय इस दिनांक 28/8/2021 को जारी

द्वारा जारी प. नं. 22/2014 दिनांक 28/8/2021 को जारी

तब- अति पिला - राजधानी के M1) जिन दिनांक

के पक्ष में विभाजन जारी पडा है।

कन नोट पर जारी पडा है।

कन नोट पर जारी पडा है।

पार्टी में दर्ज मतदा से सम्बन्धित विभाजन

में जारी डाटा जाना गया मतदा मतदा को

डाने डूबे जाग प्रतिनिधी श्री अशोक पंडित

ने बताया कि जाग प्रतिनिधी से बात करने मतदा

डाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा मतदा

जान वाले नाम का पानी को अलग कर डाने

दिया तथा जाग के ब्लाफिंग के लक्ष्य को

राजधानी राजस्थान पार्टी के परिवारी श्री राजेश

श्री ने बताया कि आने दिन ब्लाफिंग करने है।

कन नोट पर जारी प्रतिनिधी श्री अशोक पंडित

ने पावन्द किया कि जाग पर ब्लाफिंग

करने से पूर्व ब्लाफिंग के नियम को follow

करते हूँ (सिपेंट ब्लाफिंग) (silent blyafing) की

जाग विभाजन भाग- पाप को करे को सम्बन्ध

न है। कन नोट पर जारी प्रतिनिधी ने

पावन्द किया कि जिन मतदा के मतदान

विभाजन के कारण मतदा को block किया

will be down के कारण मतदा को block किया

878

किन्तु जाने का blawing खाते पर गयी है ।
 वक्त को के पर ~~बलवान~~ • श्री श.न.५ श्री
 को खात प्रतिनिधी ने आवगत किया कि
 खात मालिक से वफावत पर खात का मालिका
 फर से जफ्त इत्यादि है ।

वक्त को के पर भीना रिपोर्ट बनाने उद्देश्यता
 ने सम्बन्ध विधि

P. Singh
28/8/21

P. Singh
 (बालवाली)

श.न.५ नि.५ s/o

Pankaj Singh
M.P.

बालवाली
 (खात प्रतिनिधी)

शिव नि.५
 निवासी - नीलवा त.क. क.र.ग.

Annexure R-1/6 879

14

पंजिकृत डाक द्वारा/साईकिल सवार

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, आमेट जिला राजसमन्द
खनिज भवन, आगरिया रोड आई.टी.आई. के पास, आमेट

दूरभाष- 02908-251660, ईमेल- meamet@rajasthan.gov.in

क्रमांक: खअ/आमेट/सीसी- 11/एमएल- 22/2014/

3914

दिनांक: 21-9-21

निमित्त:

मैसर्स जेम ग्रेनाईट्स,
द्वारा साहू यात्रा कंपनी आदिनाथ कोलोनी के पीछे,
जयपुर रोड, मदनगंज, किशनगढ, अजमेर

विषय: खनन पट्टा वास्ते खनिज ग्रेनाईट नि.ग्रा कुकरखेडा तहसील भीम जिला राजसमन्द मे शर्तो के उल्लंघन के संबध मे ।

प्रंसंग: खनिकार्यदेशक की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.08.2021 के कम मे ।

होदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष मे खनन पट्टा वास्ते खनिज ग्रेनाईट निकट ग्राम कुकरखेडा तहसील भीम जिला राजसमन्द मे स्वीकृत होकर धारित हे ।

आपके पक्ष मे स्वीकृत वर्णित खनन पट्टा मे राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के संबध मे खनिकार्यदेशक द्वारा दिनांक 28.8.2021 को निरीक्षण किया गया । वक्त निरीक्षण निम्नलिखित शर्तो का उल्लंघन आप द्वारा किये गये है :-

1. समस्त ग्रामवासी के शिकायत के आधार पर जाँच करने पर पाई गई कमियों के आधार पर चेतना पत्र क्रमांक 2024 दिनांक 7.8.2020 से जारी किया गया जिसके बिन्दू संख्या 3 की पालना मे आप द्वारा दिनांक 8.9.2020 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जिसमे आप द्वारा लिखा गया कि डम्पिंग के पास एक छोटा बरसाती नाला है जिसमे कुछ मात्रा मे जो मलबा गलती से गिरा है उसे हम शीघ्र हटा देगे , परन्तु आप द्वारा एक वर्ष की समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी मलबा नही हटाया है एवं जो RMMCR-2017 के नियम 34(2)(v) का उल्लंघन है ।
2. आप द्वारा खान पर ब्लास्टिंग अनुमति धारक व्यक्ति की उपस्थिति मे नही कराई जा रही है जो RMMCR-2017 के नियम 34(2)(vii) का उल्लंघन है ।

अतः उक्त वैधानिक चेतना पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दोष का निराकरण पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे लिखित मे प्रस्तुत करे । 30 दिवस की अवधि मे पालना नही किये जाने पर निम्न कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी :-

- ❖ आप द्वारा यह चेतना पत्र प्राप्त होने के 30/45 दिन की अवधि मे पालना किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो के अन्तर्गत शास्ती आरोपित की जावेगी ।
- ❖ आप द्वारा यह चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिन की अवधि मे पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28 के अन्तर्गत प्रतिभूति की राशि जब्त करते हुये खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी ।

भवदीय,

(आसिफ मोहम्मद अंसारी)
खनि अभियन्ता,आमेट

21/9/21

सेवा में

श्रीमान् खनि अभियन्ता महोदय,
खान एवं भूविज्ञान विभाग
आमेट जिला राजसमंद

21/10/2021

विषय : खनन पट्टा संख्या 22/2014 निकट ग्राम कुकरखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद
वास्ते खनिज ग्रेनाईट मैसर्स जेम ग्रेनाईट के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका कार्यालय पत्रांक 2024 दिनांक 07.08.2020 व पत्र क्रमांक:खअ/आमेट/
सीसी-11/एम.एल. 22/2014/3914 दिनांक 21.09.2021 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि खनन पट्टा संख्या 22/2014 निकट ग्राम कुकरखेड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद वास्ते खनिज ग्रेनाईट मैसर्स जेम ग्रेनाईट में श्रीमान् के कार्यालय द्वारा जारी चेतना पत्र दिनांक 21.09.2021 की पालना निम्नानुसार है :-

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना में हमारे द्वारा दिनांक 08.09.2020 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है कि डम्पिंग के पास एक छोटा बरसाती नाला है, जिसमें कुछ मात्रा में जो मलबा गलती से गिरा है उसे शीघ्र हटाने हेतु निवेदन किया है। अतः वर्तमान में हमारे द्वारा मलबा हटाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसका आप श्रीमान् मौके पर उपस्थित होकर अवलोकन कर सकते हैं।
2. बिन्दु संख्या 2 की पालना में निवेदन है कि हमारे द्वारा खनन कार्य वायरसाँ से किया जा रहा है तथा ब्लास्टि द्वारा खनन कार्य नहीं किया जाता है। भविष्य में ब्लास्टिंग की स्थिति में ब्लास्टर को नियुक्त कर ही खनन कार्य किया जावेगा।
अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके कार्यालय से जारी पत्र शामील पत्रावली कराये जाने का श्रम करावें।



प्रार्थी

(Signature)

मैसर्स जेम ग्रेनाईट
खनन पट्टा संख्या 22/2014 निकट
ग्राम कुकरखेड़ा तहसील भीम जिला
राजसमंद वास्ते खनिज ग्रेनाईट

नेवामे

श्री मान तहसील व बाहव कोडा

विषय - मंसूर जैम शेनॉडर एम. एल. संख्या - 22/2014

मिफर ग्राम वृक्षकोडा सह भीम जिला - राजसमन्त द्वारा
माननीय मन्त्र के पत्र संख्या 0A No-432/2021 मिफर
कनाम राजस्थान राज्य व राज्य में आदेश दिनांक 01/11/2022
की अनुपालना में प्रस्तुत रिपोर्ट।

आज दिनांक 21/01/2023 को फ. ए. - थाणा व भीम द्वारा
मौजूद पर उपस्थित होकर संसरा नं. 947 का मौका मुकाना
जिया जिले में जो पत्त मकवा डाले बरवा था वो अब
नहीं है इस पानी का बाहव भी खुला ही पानी की जियासी
कभी भी आवश्यक नहीं हो रही है।

"सुब्रह्मण्यम्"

फ. ए. - थाणा

तहसील - कोडा

जिला - भीमजंगा

दिनांक - 21/01/2023

संयुक्त

प. सुमरका तह. भीम
दिनांक 21/01/23

रजि. सं. 21/01/2023

RS Mantri
21/01/2023

882
Annexure R-1/9



17

राजस्थान सरकार
खान (गुप-2) विभाग

क्रमांक: प.11(1)(49)खान/गुप-2/2022 जयपुर, दिनांक : 13 SEP 2022

निदेशक,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर।

5165
19-9-22

विषय:-ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 432/2021 शिव सिंह बनाम राजस्थान राज्य,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।

सन्दर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 21.02.2022

V महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान सन्दर्भित पत्र की ओर आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2022 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने हेतु लिखा गया था जो आदिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि सन्दर्भित पत्रानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर अविलम्ब इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

DLR
16/09/22

भवदीय,

(गजेन्द्र सिंह)
उप विधि परामर्शी

प्रतिलिपि अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भीलवाडा को को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में सन्दर्भित पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को अवगत करावें।

11
उप विधि परामर्शी

तहसील कार्यालय, भीम जिला राजसमन्द (राज.)

क्रमांक: 2.3/23/18
निमित्त :-

दिनांक: 25 /04/2023

श्रीमान खनि अभियंता,
आमेद, जिला राजसमंद

विषय : खनन पट्टा संख्या 22/2014 वास्ते खनिज ग्रेनाईट निकट ग्राम कूकरखेड़ा भीम जिला राजसमंद में अवैध खनन के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 337 दिनांक 24.04.2023 एवं माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के प्रकरण संख्या 432/2021 के आदेश दिनांक 27.03.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके पत्रानुसार उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में राजस्व विभाग व खान विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2022 से किये गये संयुक्त निरीक्षण के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार "भौके पर संयुक्त सीमांकन अनुसार नपती की गई जिसमें भूमि संख्या 3630/3463 संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र में आता है जिसमें शुद्धिकरण किया जाना है तथा बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया था।"

उक्त खनन पट्टे में पुनः दिनांक 13.09.2022 से तहसीलदार भीम, नायब तहसीलदार भीम तथा पटवारी कूकर खेड़ा व अन्य के साथ निरीक्षण किया गया जिसमें अवैध खनन होना अंकित किया गया था।

उक्त के क्रम में निवेदन है कि भूमि संख्या 3630/3463 का राजस्व नक्शे में शुद्धिकरण नहीं हो पाने के कारण खसरा संख्या 3630/3463 को राजकीय भूमि में मानते हुये रिपोर्ट दिनांक 13.09.2022 से उक्त खनन पट्टे में अवैध खनन होना माना गया था। वर्तमान में राजस्व नक्शे में शुद्धिकरण हो चुका है एवं खनन कार्य भी आवंटित क्षेत्र में ही वैध रूप से किया जा रहा है तथा अवैध खनन नहीं हुआ है। वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,



तहसीलदार, भीम